

Email - 12/03/18

Urgent

संख्या-950/71-2-82/2017

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

ND / Proctor / SC-I / SC-II / प्रोफेसर  
621  
12/3/18

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

विषय- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ : दिनांक 07 मार्च 2018

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने पत्र संख्या- एम०ई०-3/2017/457 दिनांक 22.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में साम्य विचारोपसृत निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1 प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०) / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एग्रीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस०)	02 वर्ष	रु० 10.00 लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जे०आर० के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में सहाय चिकित्सा अधिकारी के रूप में।
2	स्नातकोत्तर (एम०डी० / एम०एस० / एम०डी०एस० / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु० 40.00 लाख (डिग्री हेतु) रु० 20.00 लाख (पी०जी० डिप्लोमा / एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अथवा सहाय प्रवक्ता तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला चिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सहाय विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।

Handwritten signature and initials.

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी० एम०/ एम०सी०एच०)	02 वर्ष	रु० 100.00 लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल चिकित्सालयों में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
---	---	---------	-------------------	---

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निष्पादित की जायेगी—
- बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य/निदेशक/कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।
  - बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भांति की जायेगी।
  - ऐसे चिकित्सकों (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर डिग्री धारक/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/एम०डी०एस०) को वहीं परिलब्धियों तथा मासिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/सीनियर रेजीडेण्ट अथवा वाक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त संविदा चिकित्सकों को किए जाते हैं।
  - सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलब्धियों निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
  - बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अग्निवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
  - राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
  - अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलब्धियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।



AGREEMENT BOND FOR CANDIDATES ADMITTED TO  
..... COURSE..... SESSION

THIS DEED OF AGREEMENT BOND (BOND) IS EXECUTED AT  
\_\_\_\_\_ ON THIS DAY OF \_\_\_\_\_

BETWEEN

NAME: \_\_\_\_\_  
S/O, D/O, W/O \_\_\_\_\_  
RESIDING AT (PERMANENT ADDRESS): \_\_\_\_\_  
(TEMPORARY ADDRESS): \_\_\_\_\_  
MOBILE NO: \_\_\_\_\_  
E-mail id: \_\_\_\_\_  
AADHAR NO. \_\_\_\_\_

hereinafter referred to as ("FIRST PARTY") of the one part  
AND

Governor of Uttar Pradesh (here in after referred to as "Government")  
of the Second Part.

WHEREAS FIRST PARTY has applied for admission to  
\_\_\_\_\_ course and FIRST PARTY has been selected to the  
said course. As per the Prospectus, the FIRST PARTY has agreed to  
serve the Government for a period not less than one year after  
successful completion of the \_\_\_\_\_ course. If the FIRST  
PARTY fails to serve the government for a period of one year the  
FIRST PARTY shall forthwith pay a sum of  
Rs \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) to Government at the  
specified Government Treasury. During the above period the FIRST  
PARTY shall be paid Stipend and the Government will request their  
services within a period of three months from the date of successful  
completion of the \_\_\_\_\_ course. In case the Government does  
not provide services in mentioned period, the BOND shall be released;

AND WHEREAS the FIRST PARTY has also agreed that on  
successful completion of the \_\_\_\_\_ course his/her  
certificates relating to \_\_\_\_\_ course will not be given to the  
FIRST PARTY unless the FIRST PARTY successfully Serve the

Government for a period of one year or pay to the Government on demand the sum of Rs \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_) only.

If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rates specified by the Government as per applicable law during the period of delay:

AND WHEREAS the Government have, at the request of the FIRST PARTY \_\_\_\_\_ employed as \_\_\_\_\_ granted stipend to him/her for a period of 12 months with effect from \_\_\_\_\_ in order to enable his/her to study at \_\_\_\_\_ college.

AND WHERE AS if the FIRST PARTY \_\_\_\_\_ works for a period of less than 12 months during the \_\_\_\_\_ Super specialty course DM/MCH/ \_\_\_\_\_ Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/Graduate Degree MBBS/BDS course, the proportionate amount will be treated as stipend and the FIRST PARTY \_\_\_\_\_ shall pay back in addition to the security amount of Rs \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) the balance amount of stipend to the Government.

This bond shall in all respects be governed by the Laws of India, for the time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be accordingly determined by the appropriate courts in India.

NOW THIS DEED OF AGREEMENT BOND WITNESSES AS FOLLOWS:-

1- The FIRST PARTY has agreed to serve the Government for a period of one year on successful completion of the \_\_\_\_\_ Super speciality course DM/MCH/ \_\_\_\_\_ Post Graduate Degree MD/MS/Diploma/MDS/ Graduate Degree MBBS/BDS course. If the FIRST PARTY fails to serve the Government for a period of one year, FIRST PARTY shall pay forthwith a sum of Rs \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ Only) to the Government in the specified Government

Treasury

2- The FIRST PARTY agrees that till the successful completion of the period of one year service to the Government or till the payment of Rs \_\_\_\_\_ Rupees \_\_\_\_\_ only is paid the certificates relating to \_\_\_\_\_ Super speciality course

DM/MCH Post Graduate Degree MD/ MS/ Diploma MDS /  
Graduate Degree MBBS / BDS course shall be in the custody of the  
Concerned Institution / University / College and the Government has a  
first lien over all the certificates gained by the candidates at the time of  
admission.

3- The FIRST PARTY authorizes the Concerned Institution/ University/  
College for retention of the certificates till the lien of Government is cleared  
discharged.

4- This BOND shall in all respect be governed by the Laws of India, for the  
time being in force, and the rights and liabilities shall, where necessary, be  
accordingly determined by the appropriate courts in India.

5- If the FIRST PARTY fails to deposit the aforesaid amount in specified  
period, FIRST PARTY shall be liable to pay interest at the rate specified by  
the Government as per applicable law during the period of delay, failing  
which Government shall have right to recover the aforesaid amount together  
with interest as arrear of land revenue.

6- The FIRST PARTY shall borne the Stamp duty chargeable on this BOND  
IN WITNESS WHEREOF parties to this Deed have signed this BOND on the  
date first above mentioned.

For and behalf of  
FIRST PARTY

( )

For and behalf of  
Governor

( )

Witnesses:-

